न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 71/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/178

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
केसाराम पुत्र बोदूराम, जाति जाट, निवासी देवरी, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		तहसीलदार मकराना।

उपस्थितः–

1. श्री सिकन्दर खान वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1006 दिनांक 22.11.2024 व 1007 दिनांक 25.11.2024 तहसीलदार मकराना द्वारा पारित

–:निर्णयः–

दिनांक : 12.05.2025

अपीलार्थी की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलार्थी की पटवार हल्का सफेड बडी भू–अभिलेख निरीक्षण बुडसू तहसील मकराना के खसरा संख्या 23/1 रकबा 1.2626 हैक्टर खातेदारी भूमि आयी हुयी है जिस पर एक मात्र प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।
2. उपरोक्त खसरान की भूमि में से खसरा संख्या 213/22, 214/22 के खातेदार प्रार्थी के खसरा संख्या 23/1 में से जबरदस्ती राजस्ता कायम कने हेतु उतारू थे और धनबल के आधार पर प्रार्थी के खातेदारी खेत में से रास्ता निकालना चाह रहे थे प्रार्थी द्वारा मना करने के बावजूद भी उक्त लोग नहीं माने प्रार्थी ने काफी रोकने का प्रयास किया उसके बावजूद भी नहीं मानने पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में से जबरदस्ती राजस्ता नहीं निकाले इसलिये प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष दिनांक 23.10.2024 को पेश किया।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 162/24 जो अस्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी [illegible] था जिसमें दिनांक 23.10.2024 को स्थगन आदेश जारी [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] मौजा ग्राम राजस्व देवरी के खसरा संख्या 23/[illegible] 1.2626 [illegible] में आगामी आदेश [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

कब्जे कायत की भूमि पर दखलान्दाजी नहीं करें, ना ही किसी से करावें। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से जबरदस्ती निकास नहीं करें।

उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा दिया गया था जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार भी पक्षकार है और स्थगन आदेश का नोट उपरोक्त खसरान की जमाबंदी भूमि में नोट संख्या 03 दिनांक 24.10.2024 का भी अंकन हो रखा है और अप्रार्थी को उक्त स्थगन ओदश की बखुबी जानकारी थी और आज दिवस तक स्थगन आदेश प्रभाव में है।

4. खसरा संख्या 23/1 के राजस्व रिकोर्ड की स्थिति स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थी को यथास्थिति रखने की थी और स्थगन आदेश में यह स्पष्ट था कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर दखल अन्दाजी नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरदस्ती निकास नहीं करे फिर भी अप्रार्थी ने उक्त आदेश की अवहेलना करते हुये प्रार्थी की खातेदारी भूमि में एक पूर्व में गलत हो रखा समर्पणनामा जो 2008 का बताते हुये अप्रार्थी ने उक्त समर्पणनामा जो मुख्य सड़क के पास हो रखा था उसे मुख्य सड़क पर कभी भी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ और स्थगन आदेश के बावजूद भी अप्रार्थी ने उक्त समर्पणनामा का आधार लेते हुये खसरा संख्या 213/22, 214/22 के खातेदारों को सदोष लाभ पहूँाने के इरादे से प्रार्थी के खसरा संख्या 23/1 में विभाजन करते हुये खसरा संख्या 234/23, 235/23 का नामान्तरण सख्या 1006 दिनांक 25.11.2024 का बंटवारा करके राजस्व रिकोर्ड में गलत प्रविष्टि करके प्रार्थी प्रार्थी के खसरा संख्या 23/1 के अलग अलग भाग करते हुये रास्ते का इन्द्राज कर दिया जबकि किसी भी प्रकार का कोई रास्ता खसरा संख्या 23/1 में नहीं था।

5. तहसीलदार मकराना ने पटवारी हल्का सफेड बडी से प्रार्थी के खसरा संख्या 23/1 का विभाजन अप्रार्थी ने खसरा संख्या 213/22, 214/22 के खातेदारों को सदोष लाभ पहूँचाने के इरादे से जो उक्त नामान्तरण किया है वो नामान्तरण निरस्त होने योग्य है।

6. राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का एकल खातेदारी की खसरा संख्या 23/1 का सम्पूर्ण रकबा एक ही था जिसमें कभी भी कोई समर्पण नहीं हुआ और ना ही कभी रास्ते का इन्द्राज हुआ फिर भी अप्रार्थी ने प्रार्थी के खातेदारी भूमि का विभाजन का रास्ते का उक्त नामान्तरण का अंकन किया है जो नामान्तरण निरस्त होने योग्य है।

7. अप्रार्थी ने उपरोक्त नामान्तरण प्रार्थी को बिना बताये प्रार्थी को सुनवाई का अधिकार दिये बिना नसेर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर अप्रार्थी ने खातेदार को बिना बताये प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज किया गलत बंटवारा करके गलत खसरा संख्या अंकित की है और गलत म्यूटेशन किया है जो निरस्त होने योग्य है।

8. अप्रार्थी ने प्रार्थी को बिना [illegible] को नजरअन्दाज करते हुये रास्ते का इन्द्राज अप्रार्थी ने बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकोर्ड में करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

नामान्तरण गलत विधि विरूद्ध भरा है इसलिये नामान्तरण संख्या 1006, 1007 निरस्त होने योग्य है।

9. प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में निर्बाध रूप से कब्जा है और अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि के बीचों बीच गलत अंकन करते हुये राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज किया जबकि प्रार्थी के खातेदारी खेत में से आज दिवस तक किसी भी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं हो रखा है और अब किसी व्यक्ति विशेष को राजनैतिक फायदा पहुँचाने के इरादे से गलत नामान्तरण अंकित किया है इसलिये नामान्तरण संख्या 1006 व 1007 निरस्त होने योग्य है।

10. प्रार्थी को उक्त खातेदारी की नकल दिनांक 02.12.2024 को निकलवाई तब उपरोक्त नामान्तरण संख्या 1006व 1007 की जानकारी हुयी तब नामान्तरण की प्रति प्राप्त करके श्रीमान् के समक्ष नामान्तरण निरस्त करने बाबत् अपील प्रस्तुत की जा रही है।

11. प्रार्थी के खातेदारी खेत में प्रार्थी के खसरा संख्या 23/1 जो उक्त नामान्तरण तहसीलदार मकराना द्वारा राजस्व रिकोर्ड में भरा गया है इसलिये उक्त अपील श्रीमान् की क्षेत्र की होने के कारण उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अतः श्रीमान् के समक्ष अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार करके तहसीलदार मकराना द्वारा पटवार हल्का सफेडबडी के खसरा संख्या 23/1 में नामान्तरण संख्या 1006 दिनांक 22.11.2024 व 1007 दिनांक 25.11.2024 का विभाजन का भरा गया है उसे निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील का जवाब के तथ्य अप्रार्थी तहसीलदार मकराना की ओर से संक्षेप्त में निम्न प्रकार से है:–

1. अपील का पैरा संख्या 01 राजस्व रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है, परन्तु दिनांक 11.09.2008 को राज्य सरकार के हक में समर्पित भूमि जहां मौके पर सरकार द्वारा खेली कोठा बनवाया गया एवं खेली कोठा तक पहुंच मार्ग पर प्रार्थी का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
2. अपील का पैरा संख्या 02 प्रार्थी का कथन की प्रार्थी के खातेदारी खेत में से जबरन रास्ता निकालना चाह रहे है मिथ्या होने से अस्वीकार है। मौके पर प्रश्नगत खसरा में समर्पित भूमि में विगत से ही रास्ता कायम था जो आगे समर्पित भूमि में बने खेली कोठा पर एवं आगे खेतों को जाता है जिसे अप्रार्थी द्वारा बन्द कर रखा है।
3. अपील का पैरा संख्या 03 कानूनी है।
4. अपील का पैरा संख्या 04 में अप्रार्थी द्वारा कपोल कल्पित तथ्य अंकित वर्णित किये है। [illegible] 2008 को ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 23 रकबा 26.18 बीघा के [illegible] मूलाराम पुत्र पेमाराम जाट व केशाराम पुत्र बो[illegible] खेली कोठा (हौद) के लिए उत्तरी दक्षिणी सीं[illegible] रस्ता आया हुआ है इसमें सींव के पस मेरे नक्शें मं दर्शायी गई जग[illegible] पर रकबा 04 बिस्वा भूमि राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कु...

सरकार के हक में समर्पित की गयी। दिनांक 11.09.2008 को राज्य सरकार के हक में तस्दीकशुदा समर्पणनामा की प्रति विगत में हल्का पटवारी को प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही हो सका। समर्पण करने के बाद सहखातेदारों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का सहमती विभाजन भी कर लिया गया जबकि दोनों खातेदारों को यह भली भांति जानकारी थी की उक्त खसरे में से 04 बिस्वा भूमि समर्पित की गयी है। प्रकरण में मौके पर अपीलार्थी द्वारा रास्ता बन्द करने एवं न्यूसेन्स उत्पन्न होने पर आपसी सहमती एवं समझाईश रास्ता खुलवाया गया परन्तु वापस बन्द कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी कर मूल समर्पणनामा की प्रति स्थानीय ग्राम पंचायत सफेडबडी के रिकार्ड से प्राप्त की गयी। अपीलार्थी एवं अन्य खातेदार द्वारा समर्पित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा खेली कोठा का निर्माण करवाया गया एवं खसरा नम्बर 23 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण स्थित एवं चलने वाले रास्ते से प्रारम्भ होकर मौके पर निर्मित खेली कोठा तक खसरा नम्बर 23 की पूर्वी सींव तक रास्ता चालू था जो आगे खेतों को जाता है को अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर बन्द कर दिया है। खेली कोठा के लिए समर्पित भूमि एवं समर्पित भूमि पर चल रहे रास्ते पर किसी खातेदार का कोई अधिकार नहीं हैं, उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की सिवायचक भूमि है। समर्पित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने पर इस कार्यालय के ओदश क्रमांक 2509 दिनांक 18.11.2024 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1006 व 1007 दर्ज किया जाकर राज हक में नियमानुसार अमल दरामद किया गया। राजहक में समर्पित भूमि पर अपीलार्थी को कोई विधिक अधिकारी नहीं है। पैरा अस्वीकार योग्य है।

5. अपील का पैरा संख्या 05 अस्वीकार है।
6. अपील का पैरा संख्या 06 अस्वीकार है।
7. अपील का पैरा संख्या 07 अस्वीकार है।
8. अपील का पैरा संख्या 08 अस्वीकार है। दिनांक 11.09.2008 को राजहक में समर्पित भूमि के अनुसार ही नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल मे लाई गयी है।
9. अपील का पैरा संख्या 09 मिथ्या होने से अस्वीकार है।
10. अपील का पैरा संख्या 10 अपीलार्थी के नकल प्राप्त करने एवं जानकारी होने से सम्बन्धित हैं।
11. अपील का पैरा संख्या 11 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारी एवं श्रवणाधिकार से सम्बन्धित हैं।

श्रीमान को निवेदन है कि प्रकरण में प्रार्थी श्री बिरमाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी देवरी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 23 रकबा 26.18 बीघा भूमि में से रकबा 04 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के हक में खातेदार मूलाराम पुत्र पेमाराम केशाराम पुत्र बोदिया हेतु निवेदन किया जाने पर प्रकरण में भू अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार निवेदन है कि ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 23 रकबा 26.18 बीघा में से खेली कोठा (हौद) के लिए खेत के उत्तरी दक्षिणी सींव के पास पास स्थित रास्ता आया हुआ है रकबा 04 बिस्वा भूमि मूलाराम पुत्र पेमाराम व केशाराम पुत्र बोदिया जाट ने राज्य सरकार के हक में दिनांक 11.09.2008 को समर्पित की थी।

विगत में हल्का पटवारी के पास दिनांक 11.09.2008 को राज्य सरकार के हक में समर्पित भूमि के नामान्तकरण हेतु दस्तावेज नहीं पहुंचने के कारण राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हेतु दस्तावेज नहीं पहुंचने के कारण राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पाया और खसरा नम्बर 23 के दोनों खातेदारों द्वारा सहमती विभाजन करने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 17.01.2013 से खसरा नम्बर 23 रकबा 13.09 बीघा मूलाराम के हिस्से में एवं खसरा नम्बर 23/1 रकबा 13.09 बीघा केशाराम के हिस्से में आया हुआ है। सहमती विभाजन के अनुसार वर्तमान में मौके पर समर्पित भूमि खसरा नम्बर 23/1 में आई हुई है। मौके पर खेली कोठा बना हुआ है एवं पूर्व में मौके पर चल रहे रास्ते को सम्बन्धित खातेदार द्वारा कंटिली झाडियां व तार डालकार अवरूद्व कर रखा है। वर्तमान जमाबन्दी एवं माफिक रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना के न्यायालय से ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 23/1 पर प्रार्थना पत्र संख्या 162/2024 अनवान केसाराम बनाम बीरमाराम वगैराह में "प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर द,ाल अंदाजी ना करने और ना ही किसी और से करवाने और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन निकास नहीं करने का स्थगन आदेश जारी है।" इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, मकराना से इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/2493 दिनांक 11.11.2024 एवं 2505 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया।

अपीलार्थी एवं अन्य सहखातेदार द्वारा जब दिनांक 11.09.2008 को भूमि राज्य हक में समर्पण की जाकर खेली कोठा एवं पहुंच मार्ग स्थापित कर दिया गया और समर्पित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा खेली कोठा का निर्माण करवा दिया गया तो सम्बन्धित खातेदारों का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। प्रकरण में समर्पणनामा की प्रति, नायब तहसीलदार बूडसू, भू. अभिलेख निरीक्षक बूडसू हल्का पटवारी सफेडबडी को प्रेषित कर ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 23 में से समर्पित भूमि 04 बिस्वा का विभाजन के बाद हाल खसरा नम्बर 23 व 23/1 में से बराबर बराबर रकबा खातेदारों से कम करने के बाद जांच समर्पित भमि का राज्य सरकार के हक में मौके अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि यदि खेली कोठा एवं पहुंच मार्ग के लिए समर्पित भूमि को किसी व्यक्ति द्वारा बन्द या अवरूद्व कर रखा हो तो ततकाल अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

सुनिश्चित करें। प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां श्रीमान् की सेवा में प्रषित कर दी गयी है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में राजहित निहित होने के कारण अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकार योग्य है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को ही दोहराया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।

रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.09.2008 को ग्राम देवरी के खसरा सं0 23 रकबा 26.18 बीघा के सहखातेदार मूलाराम पुत्र पेमाराम जाट व केशाराम पुत्र बोदिया जाट द्वारा 04 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पित की गई। उक्त समर्पित भूमि का नामान्तरकरण तहसीलदार मकराना द्वारा नामान्तरकरण सं0 1006 दिनांक 20.11.2024 व नामान्तरकरण सं0 1007 दिनांक 23.11.2024 भरा गया। तहसीलदार मकराना द्वारा दिनांक 11.09.2008 को हुए समर्पण का नामान्तरकरण दिनांक 20.11.2024 व 23.11.2024 को भरा गया है। समर्पणनामा वर्ष 2008 का नामान्तकरण तहसीलदार मकराना द्वारा वर्ष 2024 में भरा गया। तहसीलदार मकराना ने इतने वर्ष बाद नामान्तकरण भरने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, ना ही पक्षकारों को सुना गया। वर्ष 2008 में हुए समर्पणनामा का नामान्तकरण भरने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक था। तहसीलदार मकराना द्वारा पक्षकार को सुने बिना ही उक्त नामान्तरकरण भर दिया गया।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मकराना द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 1006 दिनांक 20.11.2024 व नामान्तरकरण सं0 1007 दिनांक 23.11.2024 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनकर विधि सम्मत पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक **12.05.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजराज सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested